न्यायालयः- विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र), झालावाड़ (राज.)

पीठासीन न्यायाधीश - **सुनीता मीणा,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सैशन प्रकरण संख्या - 102/2021

(सी.आई.एस.नं.-102/2021)

राजस्थान राज्य

(अभियोगी)

बनाम

1- ललित कुमार पुत्र मोहनलाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी बीनागंज रोड़, नई कॉलोनी, मनोहरथाना, पुलिस थाना मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज.)

2- कान्तिबाई पत्नी मोहनलाल, उम्र 50 वर्ष, निवासी बीनागंज रोड़, नई कॉलोनी, मनोहरथाना, पुलिस थाना मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज.)

3- देवचन्द पुत्र मानसिंह, उम्र 43 वर्ष, निवासी नारेड़ा, पुलिस थाना दांगीपुरा, जिला-झालावाड़ (राज.) **– अभियुक्तगण**

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325/34 भा.दं.सं.

एवं धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट

उपस्थितः-

1- श्री महेश पाटीदार, विशिष्ट लोक अभियोजक, राज.राज्य की ओर से।

2- श्री हेमन्त शर्मा, श्री मोतीलाल लोधा व दिव्यासिंह, अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय **दिनांकः- 09.03.2026**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 15.11.2019 को परिवादी दीपक कुमार पुत्र श्यामलाल, उम्र 26 वर्ष, निवासी बीनागंज कॉलोनी मनोहरथाना ने उपस्थित थाना होकर एक टाईपशुदा तहरीरी रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-1), इस आशय की पेश की कि अर्सा 25 दिन पहले शाम को करीब 6-7 बजे भाई दोज के दिन मकान के बाहर खड़ा हुआ था कि मुलजिम ललित कुमार पुत्र गो-पाल, देवचन्द पुत्र नाम नामालूम, अमृत खाती पुत्र हजारी खाती व गोपाल की घरवाली हाथों में लट्ठ व गण्डासियां लेकर माँ-बहिन की गालियां निकालते हुये आये ओर कहने लगे कि भगल्डे बाहर आ, तुझे जाने से मारे मानेंगे। परसी की ललित ने उसके सिर पर मारी तथा अमृतज ने उसके कन्धे की हड्डी को लट्ठों से तोड़ दी तथा देवचन्द ने भी उसके पीठ पर लकड़ी की मारी व गोपाल की घर

वाली पत्थरों की देने लग गयी। वह बेहोश हो गया तो उसका भाई सोनू दौड़कर आया, तो उसके साथ भी मुलजिमान मारपीट करने लग गये। मुलजिमान मारपीट करके चले गये। मौके पर थाना मनोहरथाना की पुलिस पहुंची और उसे अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाया और अस्पताल से उसे झालावाड़ के लिये रेफर कर दिया। बेहोशी हालत में उसे पता नहीं कि उसके पर्चा बयान लिये और मुलजिमान ने उसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। झालावाड़ में उसका 5-6 दिन तक ईलाज चला। छुट्टी होने के बाद वहां से आया और सारा वाका उसके घर वालों को बताया, इत्यादि।

2- उक्त आशय के तथ्यों की टाईपशुदा तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मनोहरथाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-476/2019, अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भा.दं.सं. एवं धारा 3 एस.सी./एस.टी.एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान दिनांक 17.08.2021 को अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325/34 भा.दं.सं. एवं धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अपराध में आरोप पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3- बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 17.08.2021 को अभियुक्तगण को धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. एवं धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4- दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष ने अपने समर्थन में गवाह पी.ड.-1 दीपक, पी.ड.-2 सोनू कुमार, पी.ड.-3 दुर्गाराम, पी.ड.-4 श्यामलाल, पी.ड.-5 डॉ. लविश पाटीदार, पी.ड.-6 रायसिंह, पी.ड.-7 हेमराज, पी.ड.-8 पवन कुमार, पी.ड.-9 नरेन्द्र व पी.ड.-10 मदनलाल के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1, चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-2, नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी.-3, परिवादी का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.-4, मुलजिमान का धारा 41क दं.प्र.सं. का नोटिस प्रदर्श पी.-5 लगायत पी.-9, चोट प्रतिवेदन मजरूब दीपक दिनांक 10.10.2019 प्रदर्श पी.-10, चोट प्रतिवेदन मजरूब दीपक दिनांक 19.11.2019 प्रदर्श पी.-11, एक्सरे फॉर्म प्रदर्श पी.-12, चोट प्रतिवेदन मजरूब सोनू प्रदर्श पी.-13, एक्सरे फॉर्म प्रदर्श पी.-14, पुलिस बयान रायसिंह प्रदर्श पी.-15, पुलिस बयान हेमराज प्रदर्श पी.-16, पुलिस बयान पवन कुमार प्रदर्श पी.-17,

पुलिस बयान नरेन्द्र प्रदर्श पी.-18 व पुलिस बयान मदनलाल प्रदर्श पी.-19 को प्रदर्शित करवाया गया।

5- साक्ष्य अभियोजन की समाप्ति पर अभियुक्तगण का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. किया गया, तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों को गलत होना बताते हुए, गवाहान द्वारा झूठ बोलना व उसका निर्दोष होना बताते हुए, साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर करने पर साक्ष्य सफाई बन्द की गयी।

6- बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गयी।

7- दौराने बहस विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

8- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गयी है। प्रकरण में परिवादी पी.ड.-1 दीपक द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 व उसके द्वारा न्यायालय में दिये गये बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। गवाह पी.ड.-2 सोनू स्वयं मजरूब है, जिसने भी परिवादी पी.ड.-1 दीपक के बयानों की ताईद नहीं की है। प्रकरण के अन्य महत्वपूर्ण गवाहान पी.ड.-6 रायसिंह, पी.ड.-7 हेमराज, पी.ड.-8 पवन कुमार, पी.ड.-9 नरेन्द्र व पी.ड.-10 मदनलाल समस्त पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का लेश मात्र समर्थन नहीं किया है। प्रकरण के अन्य साक्षीगण पी.ड.-5 डॉ. लविश पाटीदार चिकित्सक साक्षी है व पी.ड.-3 दुर्गाराम अनुसंधान अधिकारी है, जिन्होंने औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। अतः अभियुक्तगण को सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

9- उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैः-

''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 15.11.2019 से करीब 25 दिन पूर्व भाई दूज के दिन शाम के करीब 6-7 बजे अथवा इसके लगभग मौजा मनोहरथाना स्थित बीनांगज रोड़ नई कॉलोनी में परिवादी दीपक कुमार के साथ मारपीट करने के सामान्य आशय

के अग्रसरण में उसका सदोष अवरोध कारित करते हुए, उसके साथ इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि उसे उपहति कारित होगी, स्वेच्छया परिवादी दीपक व मजरूब सोनू के साथ कुन्दालय हथियार लकड़ियों से मारपीट कर साधारण एवं अस्थि भंग कर गम्भीर उपहति कारित की तथा परिवादी दीपक कुमार के जाति से हरिजन होकर अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए उसे जनता के लिये दृष्टिगोचर सार्वजनिक स्थान पर जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर अपमानित एवं प्रकोपित किया तथा उसके साथ उक्त अपराध कारित किये ?''

10- उक्त अवधारणीय बिन्दु की पुष्टि हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहान को परीक्षित करवाया गया, जिसमें गवाह पी.-1 दीपक स्वयं परिवादी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 2-3 साल पुरानी बात है। वह मां दुर्गा की झांकी खोलता था। उससे ललित व देवचंद व तीन लोगों ने कहा कि तू जात का हरिजन है तुझसे सेवा नहीं होगी तो उसने कहा कि वह यह काम हर साल करता है तो उसने कहा कि तू खोलेगा तो तुझे बाद में समझायेगे। फिर दशहरे के दिन ललित व देवचंद ने उसके साथ झापट व लकडी से मारपीट की। फिर भाई दूज के दिन वह नदी से आ रहा था तो उन्होंने कहा कि इसके पावर नहीं उतरे और गाली-गलौच की और कहा कि तुने मना करने पर झांकी क्यों खोली। फिर ललित ने गण्डासी की सिर पर मारी व देवचन्द व अन्य ने उसके लकडी से मारी। उसके कन्धे की हडडी टूट गई और चोटें आई थी। फिर उसका भाई उसे बचाने आया तो उसके साथ मारपीट की। फिर पुलिस की गाडी आई जो उसे मनोहरथाना अस्पताल ले गई, फिर झालावाड ले गये। घटना की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 है। चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-2 है। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-3 है, जिन सभी पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसका जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.-4 है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि जिस दिन झगड़ा हुआ, उस दिन उनकी झांकी में नहीं गया था। आगे स्वीकार किया है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 वकील साहब से लिखाई थी तथा उसने वकील साहब से कहा था कि रिपोर्ट लिखकर दे दो। आगे स्वीकार किया है कि उसने रिपोर्ट घटना के 5-6 दिन बाद कराई थी। आगे स्वीकार किया है कि पुलिस एफ.आई.आर. में देवचन्द व अन्य के खिलाफ उसने नहीं लिखाया कि ''तू जाति से हरिजन है और तू पूजा नहीं कर सकता है।'' आगे स्वीकार किया है कि पुलिस ही उसे उठा कर लाई थी, पर पुलिस ने उसी दिन रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी उसे पता नहीं। इस

सुझाव को गलत होना बताया है कि शराब के नशे में पत्थर पर गिर गया हो और उससे चोटें आई हो। आगे कथन किया है कि बीच-बचाव प्रेम तंवर ने किया था, इसके अलावा किसी ने नहीं बचाया और यह पता नहीं कि उसने पुलिस को प्रेम तंवर के बचाने वाली बात बताई थी या नहीं।

11- गवाह पी.ड.-2 सोनू कुमार परिवादी का भाई व स्वयं मजरूब है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब दो साल पुरानी बात है। वे दो भाई है, दीपक उस-का बड़ा भाई है। उसका भाई नदी पर से आ रहा था, मुकट के मकान के सामने उसके भाई दीपक के साथ ललित और एक अन्य ने मारपीट की थी। मारपीट लकडी व गंडासी से मारपीट की थी। उसने बीच-बचाव किया था। उसके ललित की मम्मी ने ईट की मारी थी, जिससे उसके सिर पर लगी थी। दीपक चोट के कारण बेहोश हो गया, जिसको पुलिस वाले अस्पताल ले गये थे। उन दोनों को अस्पताल में भर्ती किया था। फिर झालावाड़ लेकर आये थे। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-3 बनाया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि अन्धेरी रात थी, 7-8 बजे का समय था, दूर से व्यक्ति नजर नहीं आ रहे थे। आगे स्वीकार किया है कि झगडे वाली जगह काफी लोग इकट्ठा हो गये थे। आगे स्वीकार किया है कि घटना घटने के बाद पहुंचा था तथा यह उसे पता नहीं कि वहां कौन-कौन लागे थे। इस सुझाव को गलत होना बताया है कि देवचन्द व ललित ने रंजिश के कारण झगड़ा किया हो। आगे कथन किया है कि दीपक के साथ जहां मारपीट हुई, वहां मुकट, अमृत, विष्णु के मकान है। यह उसे पता नहीं कि ये लोग वहां पर थे या नहीं।

12- गवाह पी.ड.-3 दुर्गाराम अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 19.11.19 को सी.ओ. मनोहरथाना के पद पर तैनात रहते हुए, थाना मनोहरथाना के प्रकरण सं.-476/19, धारा 341, 323/34 भा.दं.सं. व धारा 3 एस.सी./एस.टी.एक्ट की पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुयी। दौराने अनुसंधान उसने फरियादी व गवाहान दीपक कुमार, सोनू कुमार, श्यामलाल, रायसिंह, हेमराज, नरेन्द्र कुमार, पवन कुमार, मदनलाल के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये। घटनास्थल पर जाकर नक्शा मौका प्रदर्श पी.-3 बनाया, जिस पर जी से एच उसके, ए से बी फरियादी, सी से डी व ई से एफ गवाहान के हस्ताक्षर है। फरियादी का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.-4 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। मजरूबान की चोटों का मेडिकल मुआयना करवाकर रिपोर्ट व भर्ती के कागजात

प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण ललित, देवचन्द, अमृत, कान्तीबाई, मोहनलाल के विरूद्ध धारा 341, 323, 325/34 भा.दं.सं. व 3 एस.सी./एस.टी.एक्ट का जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर मुलजिमान को धारा 41क दं.प्र.सं. का नोटिस दिया, जो नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी.-5 लगायत 9 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व प्रदर्श पी.-5 लगायत 7 व प्रदर्श पी.-9 पर सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर व प्रदर्श पी.-8 पर एक्स स्थान पर अभियुक्ता का अंगुठा निशानी अंकित है। बाद सम्पूर्ण अनुसंधान अभियुक्तगण ललित कुमार, देवचन्द, कान्तिबाई के खिलाफ उक्त धाराओं में चार्जशीट कता कर चालान माननीय न्यायालय में पेश करने हेतु पत्रावली एस.एच.ओ. मनोहरथाना के सुपुर्द की, जिस पर एस.एच.ओ. मनोहरथाना अजीत मेघवंशी ने चालान माननीय न्यायालय में पेश किया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 है, जिस पर ए से बी फरियादी व सी से डी एस.आई. जगदीश प्रसाद के हस्ताक्षर व ई से एफ उनके द्वारा प्रकरण दर्ज करने बाबत की गयी कार्यवाही का पृष्ठांकन अंकित है। चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-2 है, जिस पर ए से बी फरियादी व सी से डी एस.आई. जगदीश प्रसाद के हस्ताक्षर है। एस.आई. जगदीश प्रसाद व एस.एच.ओ. अजीत मेघवंशी के हस्ताक्षर उसके अधीनस्थ साथी कर्मचारी रहे होने से पहचानता है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उसके अनुसंधान में आया था कि फरियादी व मुलजिमान के बीच नवरात्रा में माता पूजन को लेकर कहा-सुनी हुयी थी। इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की है कि माताजी की स्थापना मुलजिमान के मोहल्लें में हो रही हो। आगे कथन किया है कि गवाहान के बयान उसने घटना के 4-5 दिन बाद लिये थे तथा नक्शा मौका उसने घटना के करीब 4-5 दिन बाद बनाया था और उसने नक्शा मौका में अंकित घटनास्थल के आस-पास के लोगों से पूछताछ की थी। आगे स्वीकार किया है कि उसने अनारसिंह तंवर, गुलाबचन्द तंवर, रामस्वरूप गुर्जर, कन्हैया लाल गुर्जर के बयान नहीं लिये थे।

13- गवाह पी.ड.-4 श्यामलाल परिवादी का पिता है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 3 साल पहले शाम को 7.00-7.30 बजे की बात है। वह बस स्टेण्ड गया था, बस स्टेण्ड से घर आया तो उसने चिल्लाचोट की आवाज सुनी थी तो वह वहां पर गया तो देखा कि ललित के हाथ में गण्डासी व देवचन्द के हाथ में लठ और एक लडका ओर था जिसके हाथ में पत्थर था। वहां पर उसके लडके दीपक व सोनू पडे हुये थे जिनको वह उठाने गया। किसी ने पुलिस वालों को फोन किया था जिस पर पुलिस की गाडी आ गई और उनको उठा कर अस्पताल ले गये जहां से झालावाड में रैफर कर दिया। उसके दोनों लडकों के सिर में चोट आई

थी जो 8 रोज तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। लडाई-झगडा किस बात को लेकर हुआ उसे पता नहीं है। उस दिन दिवाली की दूज थी। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-3 बनाया, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उसके लडकों को पुलिस घटनास्थल से उठा कर ले कर गई थी। आगे स्वीकार किया है कि उसने ललित व देवचन्द के साथ मारपीट नहीं देखी, परन्तु उसने वहां पर खडे मुलजिमान के हाथ में हथियार देखे थे। आगे स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर काफी लोग आते जाते रहते हैं। आगे स्वीकार किया है कि घटना स्थल मोहल्ला है वहां पर काफी लोगों के मकान है और उसका मकान भी पास में ही है।

14- गवाह पी.ड.-5 डॉ. लविश पाटीदार चिकित्सक साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 10.10.19 को सी.एच.सी. मनोहरथाना में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए, थाना मनोहरथाना के प्रतिवेदन पर उसने मजरूब दीपक के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल परीक्षण कर रिपोर्ट बनायी थी। दौराने परीक्षण उसके शरीर पर निम्न चोटें थी - चोट सं.-1 सुजन 5*2 सेमी बांये कंधे पर। उक्त चोट कुन्दालय से कारित थी जिसकी अवधि 24 घंटे के भीतर की थी। चोट की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। बाद एक्सरे उक्त चोट में अस्थिभंग पाया जाकर गंभीर प्रकृति की पायी गयी। उसके द्वारा तैयार चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-10 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उसकी राय अंकित है।

दिनांक 19.11.19 को उसने मजरूब दीपक की चोटों का मेडिकल परीक्षण किया था। दौराने परीक्षण उसके शरीर पर निम्न चोटे थी - चोट सं.-1 कटा हुआ घाव 3*0.5 सेमी सिर के मध्य भाग में। चोट सं.-2 सुजन 3*1.5 सेमी बांये कंधे पर। चोट सं.-3 छाती पर दर्द होना। चोट सं.-4 दोनों टखनों पर दर्द व चोट सं.-5 खरोंच 1 सेमी दांये हाथ की अंगुली पर। चोट सं.-1, 3, 4, 5 साधारण प्रकृति की व चोट सं.-2 पूर्व में एक माह पहले किये गये एक्सरे को देखते हुए गंभीर प्रकृति की थी एवं सभी चोटें कुन्दालय से कारित थी। चोटों की अवधि 24 घंटे के भीतर की थी। चोट सं.-1 का एक्सरे करवाया था। बाद एक्सरे चोट सं.-1 साधारण प्रकृति की पायी गयी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-11 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी उसकी राय अंकित है। एक्सरे फार्म प्रदर्श पी.-12 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

दिनांक 19.11.19 को उसने मजरूब सोनू के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल परीक्षण किया था। दौराने परीक्षण उसके सिर में पुराना चोट का निशान

था। उसके द्वारा तैयार चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-13 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 10.10.19 को मजरूब दीपक का कंधे का करवाया गया एक्सरे फार्म प्रदर्श पी.-14 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.-10 दिनांक 10.10.19 का सुबह 11 बजे का है। प्रदर्श पी.-10 उसने पुलिस के प्रतिवेदन पर तैयार किया था। आगे स्वीकार किया है कि वह प्रतिवेदन पत्रावली पर नहीं है। आगे स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.-11 की चोट सं.-3 व 4 में जो दर्द होना अंकित किया है वह मजरूब के बताये अनुसार ही किया है तथा प्रदर्श पी.-11 की चोट सं.-1 सिर के बल कठोर धरातल पर गिरने से आ सकती है। आगे स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.-11 की चोट सं.-5 स्वकारित भी हो सकती है तथा प्रदर्श पी.-11 की चोट सं.-2 एक डेढ महीने पुरानी थी। इस सुझाव को गलत होना बताया है कि प्रदर्श पी.-11 बनाते समय चोट सं.-2 गंभीर प्रकृति की नहीं हो। फिर कथन किया कि उस समय भी हड्डी टुटी हुयी थी। आगे स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.-11 की चोट सं.-2 भी सिर के बल कठोर धरातल पर गिरने से आ सकती है। आगे स्वीकार किया है कि मजरूब सोनू के प्रदर्श पी.-13 बनाते समय कोई चोट नहीं थी तथा मजरूब का एक्सरे उसने नहीं किया, बल्कि उसकी उपस्थिति में टेक्नीशियन ने किया था।

15- गवाह पी.ड.-6 रायसिंह, पी.ड.-7 हेमराज, पी.ड.-8 पवन कुमार, पी.ड.-9 नरेन्द्र एवं पी.ड.-10 मदनलाल महत्वपूर्ण एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण हैं, जिन्होंने सशपथ साक्ष्य दी है कि पुलिस ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की और ना ही उनके बयान नहीं लिये तथा उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उक्त समस्त गवाहान **पक्षद्रोही** घोषित हुए है, जिन्होंने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

16- अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के संबंध में परिवादी पी.ड.-1 दीपक के सशपथ बयानों व उसके द्वारा दी गयी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 का अवलोकन किया जाये तो परिवादी ने तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 15.11.2019 को पुलिस थाना मनोहरथाना में पेश की, जिसके अनुसार तहरीरी रिपोर्ट पेश करने के 25 दिन पहले भाईदूज के दिन अभियुक्तगण ललित कुमार, देवचन्द, अमृत व गोपाल की घरवाली के लट्ठ व गण्डासी लेकर माँ-बहिन की गालियां निकालते हुये आये व इसके साथ मारपीट की, जिससे उसके कन्धे की हड्डी तोड़ दी तथा यह बेहोश हो गया तो इसका भाई सोनू दौड़कर आया। वहीं न्यायालय में हुए अपने बयानों में परिवादी घटना का वर्णन करते हुए कहता है कि पहले दशहरे के दिन अभियुक्त ललित व देवचन्द ने इसके साथ झापट व लकड़ी से मारपीट की थी। फिर भाई दूज के दिन जब यह नदी से आ रहा था तो इसके साथ गाली-गलौच की व

अभियुक्त ललित ने इसके सिर पर मारी व देवचन्द ने इसके लकड़ी की मारी, जिससे इसके कंधे की हड्डी टूट गई और चोटें आई। इसका भाई बचाने आया। वहीं परिवादी का भाई पी.ड.-2 सोनू कुमार दशहरे पर हुई तथाकथित मारपीट की घटना के बारे में कोई साक्ष्य नहीं देता है, बल्कि कहता है कि इसका भाई दीपक जब नदी से आ रहा था तो अभियुक्तगण ललित व एक अन्य ने उसके साथ मारपीट की। दीपक चोट लगने के कारण बेहोश हो गया तथा यह परिवादी से भिन्न कथन करते हुए कहता है कि ललित की मम्मी ने ईंट से इसके सिर पर चोट मारी। गवाह पी.ड.-4 श्यामलाल परिवादी का पिता है, जो कहता है कि चिल्लाने की आवाज सुनकर यह मौके पर गया, तो इसके दोनों लड़के दीपक व सोनू पडे हुए थे और अभियुक्त ललित के हाथ में गण्डासी व अभियुक्त देवचन्द के हाथ में लट्ठ था तथा प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार करता है कि इसने अभियुक्तगण ललित व देवचन्द द्वारा की गयी मारपीट नहीं देखी। लेकिन स्पष्ट करता है कि इसने अभियुक्तगण के हाथ में हथियार देखे थे। इस प्रकार उक्त गवाह के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि यह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है।

17- घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में गवाह पी.ड.-6 रायसिंह, पी.ड.-7 हेमराज, पी.ड.-8 पवन कुमार, पी.ड.-9 नरेन्द्र व पी.ड.-10 मदनलाल पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जो अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करते है। जहां तक परिवादी का यह कथन है कि भाईदूज के दिन की गयी मारपीट के दौरान इसके कंधे की हड्डी टूट गयी थी तो इस संबंध में चिकित्सक साक्षी गवाह पी.ड.-5 डॉ. लविश पाटीदार के बयानों का अवलोकन किया जाये तो उक्त गवाह के अनुसार मजरूब दीपक के शरीर की चोटों का मेडिकल मुआयना दिनांक 10.10.2019 व दिनांक 19.11.2019 को किया गया। दिनांक 10.10.2019 को बनाये गये चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-10 के अनुसार परिवादी दीपक के बांये कंधे पर सूजननुमा चोट मौजूद थी जो बाद एक्सरे गम्भीर प्रकृति की पायी गयी थी, जिसकी अवधि 24 घण्टे के भीतर की थी। वहीं दिनांक 19.11.2019 को मजरूब दीपक के सिर के मध्य भाग में कटा हुआ घाव, बांये कंधे पर सूजन व छाती व दोनों टखनों पर दर्द एवं दांये हाथ्ज्ञ की अंगुली पर खरोंच पायी गयी तथा चिकित्सक साक्षी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि बांये कंधे पर पायी गयी चोट सं.-2 पूर्व में एक माह पहले किये गये एक्सरे को देखते हुए गम्भीर प्रकृति की थी तथा सभी चोट की अवधि 24 घण्टे के भीतर की थी। इस प्रकार जहां तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 15.11.2019 को पेश की गयी है, जिसमें घटना भाईदूज की बतायी गयी है तथा मजरूब दीपक का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-11 दिनांक 19.11.2019 को बनाया गया है। अर्थात् चोट

प्रतिवेदन बनायी गयी दिनांक 19.11.2019 के करीब 20 दिन पहले की घटना परिवादी ने बतायी है। जबकि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-11 के अनुसार चोटों की अवधि 24 घण्टे के भीतर की थी। अर्थात् घटना या तो दिनांक 19.11.2019 को कारित की गयी या फिर दिनांक 18.11.2019 को की गयी। इस प्रकार चोट प्रतिवेदन व चिकित्सक साक्षी की साक्ष्य से परिवादी के बयानों की सम्पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि परिवादी पी.ड.-1 दीपक ने भाईदूज की घटना के दौरान ही कंधे की हड्डी टूटना बताया है तथा दशहरे के दिन भी ललित व देवचन्द द्वारा स्वयं के साथ मारपीट करना बताया है, लेकिन उस दौरान उसके कंधे की हड्डी टूटी हो इस संबंध में कोई कथन न तो परिवादी पी.ड.-1 दीपक ने अपने बयानों में किया है, ना ही परिवादी के भाई पी.ड.-2 सोनू ने या फिर परिवादी के पिता पी.ड.-4 श्यामलाल ने अपने बयानों में किया है। इस प्रकार दिनांक 10.10.2019 को बनाये गये चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-10 में पाये गये अस्थिभंग के लिये अभियुक्तगण को उत्तरदायी ठहराये जाने हेतु कोई प्राथमिक साक्ष्य अभियोजन की ओर से पेश नहीं हुई है और जहां तक चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-11 का संबंध है, उसकी चोटों की अवधि 24 घण्टे के भीतर की बतायी गयी है। जबकि परिवादी के अनुसार घटना दिनांक 19.11.2019 से करीब 20 दिन पूर्व की भाईदूज के त्यौहार की बतायी गयी है। इसके अतिरिक्त परिवादी ने न तो अपनी तहरीरी रिपोर्ट और ना ही न्यायालय में हुए अपने बयानों में अभियुक्ता कान्तिबाई के विरूद्ध कोई कथन किये है। जहां तक मजरूब सोनू का यह कथन है कि ललित की मम्मी ने उसके सिर पर ईंट की मारी तो चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-13 दिनांक 19.11.2019 के अनुसार मजरूब सोनू के सिर पर जो चोट का निशान था वह पुराना था, स्पष्ट रूप से अवधि अंकित नहीं है। अतः चिकित्सकीय साक्ष्य से भी सम्पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन की ओर से पेश की गयी साक्ष्य अस्पष्ट, असम्पुष्टि व संदिग्ध प्रकृति की प्रतीत होती है। अतः इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन अपनी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण ललित कुमार, देवचन्द व कान्तिबाई आरोपित अपराध धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. व धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत् सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अभियुक्तगण 1- ललित कुमार पुत्र मोहनलाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी बीनागंज रोड़, नई कॉलोनी, मनोहरथाना, पुलिस थाना मनोहरथाना, जिला-

झालावाड़ (राज.), 2- कान्तिबाई पत्नी मोहनलाल, उम्र 50 वर्ष, निवासी बीनागंज रोड़, नई कॉलोनी, मनोहरथाना, पुलिस थाना मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज.) एवं 3- देवचन्द पुत्र मानसिंह, उम्र 43 वर्ष, निवासी नारेड़ा, पुलिस थाना दांगीपुरा, जिला-झालावाड़ (राज.) को धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. एवं धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोपों से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके बाबत हाजिरी निरस्त किए जाते हैं।

2- प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मजरूबान दीपक व सोनू कुमार को पीड़ित प्रतिकर योजना के अधीन प्रतिकर दिलवाये जाने हेतु अनुशंषा किया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक **09.03.2026** को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

KAMLESH TAILOR
Steno Gr. I
"Authenticate document"
Digitally signed by KAMLESH TAILOR
Date: 2026.03.13 15:08:36 +0530

नोट:- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।